Government of Rajasthan
Chief Secretary Office

No.PS/CS/I/2016/2642

Jaipur, 12.4.2016

All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/
Secretaries to Government

Circular

While deciding petitions the Hon'ble High Court often directs respondents (State Government) to decide representations made by the concerned petitioner/s with regard to his grievance within time period fixed by the court and, in some cases, even when no time is fixed. However, it has been observed that the concerned authority/officer often does not decide the representation or does not decide it in time, due to which contempt petitions are filed before the Hon'ble Court. Taking notice of this situation a circular no.प012(3)राज/वाद/12 पार्ट dated 12-02-2013 (copy enclosed) was issued by the Law Department clearly indicating that the representations must be decided with self speaking orders within time fixed by the Hon'ble Court, and where no time is fixed, within one month.

However, it has been found that the instructions issued in the said circular are not being followed. The Hon'ble Court has taken a serious view of this situation.

It is, therefore, directed that all departments will issue necessary instructions immediately to all concerned for compliance of the circular dated 12-02-2013 in letter and spirit and it will also be indicated that non-compliance of the said circular will be viewed seriously and may entail disciplinary action. All departments are further instructed to monitor compliance of the said circular on a regular basis.

(C.S. Rajan)
Chief Secretary

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प0 12(3)राज/वाद/12 पार्ट जयपुर, दिनांक: 12.2.13

समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव ।

परिपत्र

विषयः— न्यायालय में राज्य सरकार के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में ।

सभी प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ विभाग में प्रभारी अधिकारी (OIC) को निर्देशित करें कि यदि विभाग में अधिक संख्या में न्यायालय प्रकरण सुनवाई हेतु लम्बित है, अथवा विभाग द्वारा अपने अधिकारी को पूर्ण कालिक रूप से न्यायालय के प्रकरणों की पैरवी सुनिश्चित कराने हेतु नियुक्त किया हुआ है, परन्तु उनके द्वारा महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क नहीं रखने के कारण समुचित पैरवी की व्यवस्था नही हो पाती है। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग अपने-अपने प्रभारी अधिकारी (ओ.आई.सी.) को निर्देशित करें कि वे निरन्तर उच्च न्यायालय में प्रशासक वादकरण से सम्पर्क बनाए रखे तथा सप्ताह में एक बार अपने विभाग की प्रगति से प्रशासक वादकरण को व्यक्तिशः उपस्थित होकर अवगत करायें ।

प्रायः यह पाया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को निस्तारित करते हुए प्रतिवादीगण को यह निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादीगण याचिकार्थी के अभ्यावेदन पर विचार कर अभ्यावेदन को नियत समय में निस्तारित करें परन्तु विभागों के सक्षम अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदनों को नियत समय में निस्तारित नहीं किया जाता है तथा सरसरी तौर पर निस्तारित कर दिया जाता है जिसकी वजह से याचिकार्थी राज्य सरकार के अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना याचिकाएं दायर कर देते है । ऐसे प्रकरणों का निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में करें । जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की हो, उसे अधिकतम एक माह में निस्तारित करें । अभ्यावेदन को निस्तारित करते समय यह ध्यान में रखा जावे कि निस्तारण आदेश सरसरी तौर पर न होकर सैल्फ स्पीकिंग होना चाहिए। सभी प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की जाती है कि परिपत्र की पालना सुनिश्चत करें ।

राज्यपाल के आज्ञा से,

(पंकज भंडारी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को उनके कार्यालय के पत्र कमांक 148 दिनांक 6.02.2013 के कम में ।
2. प्रशासक वादकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव।
4. रक्षित पत्रावली ।

शासन सचिव, विधि